भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 470

जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

सतत कोयला उत्पादन

470. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कोयला का कुल उत्पादन कितना रहा है;

(ख) सरकार द्वारा सतत और पर्यावरण-अनुकूल कोयला खनन पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला उत्पादन
2022-23	893.191
2023-24	997.826
2024-25	1047.50 (अनंतिम)

(ख) : देश में कोयला खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल पहलें की गई हैं, जैसे वृक्षारोपण/जैव-पुनरूद्धार, सामुदायिक

उपयोग के लिए खान जल का उपयोग, इको-पार्कों का विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

इसके अलावा, कोयला ब्लॉक आवंटितियों के साथ निष्पादित कोयला खान/ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करारों (सीएमडीपीए/सीबीडीपीए) के प्रावधानों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और अच्छी उद्योग पद्धति का पालन करते हुए संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर मशीनीकृत विधियों का उपयोग करना अपेक्षित है। सफल बोलीदाताओं को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पिटहेड से कोयले के परिवहन के लिए मशीनीकृत लोडिंग और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) एवं (घ) : कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक लगभग 1.5 बि.ट. (बिलियन टन) का महत्वाकांक्षी घरेलू कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कोयला खानों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

i. वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक का निर्माण।
ii. अवक्रमित भूमि का पुनरुद्धार।
iii. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) निष्कर्षण और कोयला गैसीकरण सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
iv. सड़क परिवहन को न्यूनतम करना और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित मशीनीकृत कोयला लोडिंग और परिवहन को बढ़ावा देना।
v. ऊर्जा दक्षता उपायों का कार्यान्वयन।
vi. सौर, पवन, पंपित भंडारण परियोजनाओं, भू-तापीय आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करना।

देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
ii. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।
iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस

पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi. कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि में कमी, मासिक भुगतान के सापेक्ष अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, कंटिन्युअस माइनर (सीएम), लोंगवॉल (एलडब्ल्यू) और हाईवाल (एचडब्ल्यू) की तैनाती के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपना रही है।

ii. अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों और डंपरों, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के मानकीकरण और सरफेस माइनर्स की तैनाती में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है। इसकी 7 मेगा खानों में डिजिटल बदलाव को प्रायोगिक स्तर पर लागू किया गया है।

iii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

****